झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
षष्ठम् (मॉनसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 09.09.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन स०वि०स०	राँची जिलान्तर्गत बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के भवन का अधूरा संरचना कार्य पूर्ण दिखाकर करोड़ों रूपये की राशि की निकासी कर लिया गया। भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए राँची, लातेहार, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, सिमडेगा एवं गढ़वा में मधुमक्खी पालन, मिठी क्रांति, बांस की खेती, घृतकुमारी की खेती आदि योजनाएं चलाई जा रही है साथ ही मिठी क्रांति के तहत् खूँटी जिला के उल्लीहातु ग्राम में घटिया किस्म का मधुमक्खी का बक्सा आपूर्ति कर एक करोड़ रूपया से ऊपर राशि की निकासी कर लिया गया है। अतः बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के भवन के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने एवं मधुमक्खी पालन, मिठी क्रांति, बांस की खेती, घृतकुमारी की खेती आदि योजनाएं प्रारंभ करने एवं गलत तरीके से राशि निकासी करने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता

01.	02.	03.	04.
02-	श्री वैद्यनाथ राम स0वि0स0	राज्य गठन के पश्चात् सरकार द्वारा सन् 2011 में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया था। उक्त सर्वेक्षण में संपूर्ण झारखण्ड विशेषकर पलामू प्रमण्डल के गढ़वा एवं लातेहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निवास करने वाले अत्यन्त निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों के नाम किन्ही कारणों से सूचीबद्ध नहीं हो पाये है। इस हजारों जरूरतमंद परिवारों को नाम सूचीबद्ध नहीं होने के कारण सरकार द्वारा लागू जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है। ये मिट्टी के घरों में रहने को मजबूर हैं। आर्थिक तंगी के कारण अपने घरों की मरम्मति नही करा पाते है। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ इन्हे नहीं मिल पा रहा है। अतः गढ़वा एवं लातेहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत सन् 2011 के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण में छूट गये लोगों के नाम पुनः जोड़ने हेतु नये सिरे से सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराने की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी
03-	श्रीमती पुष्पा देवी स0वि0स0	पलामू जिलान्तर्गत वर्ष- 2020-21 में एफसीआई0 एवं जिला आपूर्ति विभाग पलामू के मिलीभगत से धान क्रय में काफी अनियमितता बरती गई है जिससे पलामू जिले के किसानों का धान समय से धान अधिप्राप्ति केन्द्रो पर नहीं खरीदा गया जिससे उनका धान घर पर ही रखा रह गया जिससे किसानों को काफी कठनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बिचौलियों के द्वारा दूसरे केन्द्रों के किसानों का धान क्रय कर यहाँ के किसानों का हक को मारा गया है। पलामू जिला में 17 हजार किसान निबंधित है, निबंधन के समय ही किसानों को प्रखण्डवार धान अधिप्राप्ति केन्द्र का आईडी एलॉट किया जाता है।	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता

कृ0पृ0उ0-

01.	02.	03.	04.
		फिर भी यहाँ के किसानों का धान को नहीं खरीद कर दूसरे प्रखण्डों के किसानों का धान को खरीदा गया जिन धान केन्द्रों पर 5-6 हजार क्विंटल धान भण्डारण की क्षमता है, वहाँ पर बिचौलियों एवं विभाग के मिलीभगत से 80-90 हजार क्विंटल धान खरीद दर्शाया गया है जो विभागीय एवं बिचौलियों की मिलीभगत को दर्शाता है। अतः मैं सदन के माध्यम से पलामू जिले में धान क्रय में हुए अनियमितता की जाँच उच्चस्तरीय समिति से कराते हुए किसानों को उचित मुआवजा देने हेतु एवं इस अनियमितता में संलीप्त दोषी पदाधिकारियों एवं बिचौलियों पर कठोर कार्रवाई करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करती हूँ।	
04-	श्री भूषण तिर्की स0वि0स0	वर्त्तमान सरकार द्वारा निवास प्रमाण-पत्र के लिए जो प्ररूप/फोर्मेट के द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है, उसमें राज्य हित के लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का संकल्प सं0-3198, दिनांक-18/04/2016 के आलोक में बदलाव करने की आवश्यकता है। निवास प्रमाण-पत्र हेतु। 1- मूलवासी के लिए स्थायी निवास प्रमाण-पत्र। 2- अन्य राज्य के निवासियों के लिए स्थानीय प्रमाण-पत्र 3- खतियान। 4- वंशावली। 5- आवेदक का रैयत से संबंध। 6- जमाबंदी सं0- 7- प्लॉट सं0- 8- सरकार के संकल्प सं0-3198,दिनांक-18.04.2016 के आलोक में जो आवेदक अन्य राज्य से आये है, झारखण्ड राज्य में नियोजन का लाभ लेने हेतु अपने राज्य के गृह जिला के सक्षम पदाधिकारी से गृह राज्य में नियोजन का लाभ न लेने संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र। 9- प्रमाण-पत्र के स्थानीय पता के साथ-साथ अपने राज्य के गृह जिला का पूर्ण पता का उल्लेख करना आवश्यक है।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

01.	02.	03.	04.
		अतएव मैं सदन के माध्यम से उपर्युक्त प्ररूप/कोमेंट के आधार पर निवास प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	
05-	श्री अनन्त कुमार ओझा स०वि०स० डॉ० नीरा यादव स०वि०स० श्री अमित कुमार मंडल स०वि०स०	''साहेबगंज जिला का राजमहल विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड क्रमशः साहेबगंज सदर, राजमहल एवं उधवा में 83.15 कि०मी० गंगा नदी अविरल प्रवाहित हैं। वर्णित क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने से यहाँ के लोग प्रभावित होते है जिसकी जानकारी स्थानीय व राज्य प्रशासन को अद्योत्तर जानकारी मेरे द्वारा दी जाती रही है। बाढ़ की विभीषिका से हजारों लोग प्रभावित होतें हैं। प्रभावितों को राहत सामग्री वितरण में व्यापक पैमाने पर अनियमिताएँ की जा रही है। पूर्व से यहाँ के लोग वर्तमान वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड-19) की कठिनाईयों से जूझ रहे थे। साथ ही वर्तमान बाढ़ की विभीषिका से उनके संरक्षा, सुरक्षा सहित जान-माल की क्षति हुई है, जिसका आकलन व सर्वेक्षण कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिलाना अत्यावश्यक है। राज्य शासन व्यवस्था द्वारा महत्त्वपूर्ण बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से दिये गये दिशा-निर्देशों की अवहेलना कर स्थानीय शासन-प्रशासन के लोग आपदा को अवसर में बदलते हुए घोर अनियमितताएँ की जा रही है, जो उच्चस्तरीय जाँच का विषय है तथा ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनपर अविलम्ब विधि-सम्मत कार्रवाई करना आवश्यक है। भेदभावपूर्ण तरीके से बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री वितरण की जा रही है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि साहेबगंज जिलान्तर्गत सहित राजमहल विधान सभा क्षेत्र में आए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे व आकलन कराते हुए उनकी जानमाल की क्षति, उन्हें अविलम्ब उचित भेदभावपूर्ण रहित रूप से मुआवजा का वितरण एवं	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन

01.	02.	03.	04.
		राहत सामग्री के वितरण में हो रहे अनियमितताएँ की उच्चस्तरीय जाँच कराते हुए चिन्हित लोगों पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाय, जिससे कि प्रभावितों को सरकार द्वारा अन्यान्य योजनाओं के क्रियान्वयन से वंचित न रह सके, जिस ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	

राँची,
दिनांक- 09 सितम्बर, 2021 ई०।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-प्र०ध्या०-34/2021-...2114.../वि० स०, राँची, दिनांक- 8/9/21

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०- प्र०ध्या०-34/2021-...2114.../वि० स०, राँची, दिनांक- 8/9/21

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

08/09/21

सुभाष/-